संख्या–20/1/91/का–2–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊ : : दिनॉक : 11 जून, 2012

विषय : भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। समसंख्यक शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन को भी उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर दिया गया है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य से जुड़े हुए पद भारी संख्या में रिक्त हैं, जिसके कारण इन शिक्षण संस्थाओं में पठन–पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3– उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े हुए विभागों की संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों (यथा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर आदि) के पदों को भर्ती पर प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश दिनांक 15 मार्च, 2012 से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–21/1/91(1)/का–2/2012, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4– प्रमुख सचिव, विधान परिषद /विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, मा0 मंत्रि के सूचनार्थ।
10– वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव।